


Bar/leda-1356433 Raj-raj-11492



# PROPOSED LAYOUT PLAN OF " VATSALYA ENCLAVE "

UNDER KHASRA NO.- 458,461 & PART OF 459,460  
AT REVENUE VILLAGE:- MALWA,  
TEH.- CHAKSU, DIST. JAIPUR, RAJASTHAN.

1431  
B  
18.7.24.



S.NO.	KHASRA NO.	PROPOSED AREA IN SQ.MTRS.	APPROX. AREA IN SQ.MTRS.
L	458	1100.00	1800.00
S	459	1100.00	1800.00
A	460	1100.00	1800.00
L	461	1100.00	1800.00
TOTAL AREA		4400.00	7200.00



योजना क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रमाणित 2022 से अनुसूचित नू उपकरण प्रमाणित उपकरण के प्रयोगों की तथ्य -  
आवृत्ति प्रमाण - 20  
सर्वेक्षण प्रमाणित प्रमाण - 11

योजना क्षेत्र का नु -उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्र.सं.	भू -उपयोग	क्षेत्रफल(व.मी.में)	प्रतिशत
1.	आवासीय भूखण्ड	2974.23	59.31%
2.	पार्क/सह्यवसायिक	158.00	03.11%
(A)	कुल क्षेत्रफल (1 TO 2)	3130.23	62.42%
3.	पार्क	252.37	05.03%
4.	टोस कचरा प्रबंधन	50.00	01.00%
5.	मोबाइल टावर	10.00	00.20%
6.	सड़क	1572.4	31.35%
(B)	कुल क्षेत्रफल (3 TO 6)	1884.77	37.58%
(C)	योजना क्षेत्रफल (A+B)	5015.00	100.00%
(A)	प्रस्तावित योजना की आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (0.5015 हेक्टेयर )	5015.00 व.मी.	

योजना का नाम :- " VATSALYA ENCLAVE "  
UNDER KHASRA NO.- 458 & PART OF 459,460  
AT REVENUE VILLAGE- MALWA,  
TEH.- CHAKSU, DIST. JAIPUR, RAJASTHAN

योजना विकास कर्ता :-  
जैन संख्या = 14  
स्केल = 1 : 500  
संपन्नता :-

डिजिटल सर्वेक्षण प्रमाणित 2022 से अनुसूचित नू उपकरण प्रमाणित उपकरण के प्रयोगों की तथ्य -  
आवृत्ति प्रमाण - 20  
सर्वेक्षण प्रमाणित प्रमाण - 11

जयपुर विकास प्राधिकरण

- नोट:-
- राजस्व ग्राम मालवा तहसील चकसू, जिला जयपुर के कुल विभाग 04 कुल रकबा 0.5015 हेक्टर भूमि की 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2023-24/102964 दिनांक 26.10.2023 को की गई है।
  - योजना की भूमि में रा.भू.स. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं नीचे पर प्रमाणिकरण तहसीलवार द्वारा किया गया है।
  - योजना का नू-उपयोग मानद पत्र शाखा अनुसार मानद विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मानद विकास योजना 2025 व जैनल डेवेलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-15 के अनुसार नू-उपयोग आवसीय, यू-2 एचआईजेड दर्शित है।
  - योजना वात्सल्या एनक्लेव का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 345वीं बैठक दिनांक 13.02.2024 में किया गया है।
  - योजना में खुदकर व्यावसायिक के प्राधान्य नथिने के आदेश दिनांक 20.02.2023 एच बीपीसी. (एलपी) द्वारा जारी यु.जे. नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होने।
  - योजना में एलटी लाईन से प्रमाणित भूखण्ड संख्या 30 का परदा एलटी लाईन फिट होने के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।
  - योजना मानचित्र टिचनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किटे जाने हेतु तैयार किया गया है।
  - योजना 2 हेक्टर से कम होने के कारण आवेदक से ईडब्ल्यूएस/एसआईओ के एचन में सफि ली गयी है।
  - प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर जॉडिया विनियम 2020 के अनुसार देय होने।
  - आन्तरिक विकास शुल्क की एचन में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रचन रहे जाते है:-  
भू.सं. 1, 2, 23, 30 कुल भूखण्ड 04 कुल क्षेत्रफल 417.94 वर्गमीटर

ILR.PAPWARI (ZONE-14)  
D.T.P. (ZONE-14)  
T.D.R. (ZONE-14)  
D.C. (ZONE-14)  
A.C.T.P. (ZONE-14)  
B.P.C.(L.P)

